न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 91 सन 2019

अनवान :–

1. अरमान उम्र 4 वर्ष 5 माह 2 अनमोल उग्र 3 वर्ष 5 माह पुत्रीगण कालासिह जाति जटसिख निवासी नोहर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता संदीप कौर पत्नी कालासिह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।
2. प्रमजीत कौर उग्र 2 वर्ष पुत्री गोरासिह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मु0 मनदीप कौर पत्नी गोरासिह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. बलजीत कौर पत्नी जगदेवसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।
2. कालासिह पुत्र जगदेवसिह जाति जटसिख निवासी ढाणी सिखान तहसील नोहर।
3. गोरासिह पुत्र जगदेवसिह जाति जटसिख निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. हरीश कुमार पुत्र गुलाबराम जाति सिन्धी निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. निशा पत्नी हरीश कुमार जाति सिन्धी निवासी नोहर तहसील नोहर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 04.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 तां 3 के पडदादा की रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 84/65 के प0न0 305/435(21) के किला न0 2 ,9 ता 12 व 19 ता 21 व प0न0 304/435(22) के किला न0 6 ,15 ,16 व 21 ता 25 व प0न0 304/436(33) के किला न0 6 ता 10 व प0न0 305/436(34) के किला न0 10 कुल तादादी 5.5660हैक की थी

वादीगण के पडदादा भादरराम की मृत्यू के बाद उसके पिता जगदेवसिह वादीगण के दादा को प्राप्त हुई एवं जगदेवसिह की मृत्यू के बाद वादभूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण का भी वाद भूमि में हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने बिना किसी जायज जरूरत के उक्त भूमि में से 1.518हैक भूमि सुनिता पत्नि नारायण प्रसाद को विक्रय कर दी तथा 0.7840हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को तथा 0.7590हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दी जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है अब वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पास 2.505हैक भूमि शेष रही है जिसे भी खूर्दबुर्द कर सकते है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा से अधिक की भूमि का बेचान किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्साा की भूमि है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन करवाकर वादीगण अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पडदादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादीगण के दादा के नाम दर्ज हुई जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो वादीगण का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है वाद भूमि मे प्रतिवादीगण ने अपने हक हिस्सा की भूमि का बेचान

A4

किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने निवेदन किया की उनके द्वारा खरीद की गई भूमि उनके नाम से दर्ज रखी जावे वादीगण के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने अपने कथनों की ताईद में ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जाकर वकील वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में पूर्व में वादीगण के पडदादा भादरसिह के नाम से दर्ज थी वादीगण के पडदादा भादरसिह के देहान्त होने के बाद वादीगण के दादा जगदेवसिह के नाम से दर्ज हुई वादीगण के दादा जगदेवसिह के देहान्त होने के बाद उसके पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हुई अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज हुई है । इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा होगा। वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि से अधिक भूमि का बेचान किया जा चुका है जो राजस्व रिकार्ड में खरीददारों के नाम से दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम शेष बची भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है इसलिये प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन कर वादीगण अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 4 ,5 ने निवेदन किया की उनके द्वारा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते हुए वादीगण के हकों का निर्धारण किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका हे। इसप्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की आपसी सहमति व साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए के खाता संख्या 84/65 के प0न0 305/435(21) के किला न0 2 ,9 ता 12 व 19 ता 21/2.024हैक व प0न0 304/435(22) के किला न0 6 ,15 ,16 व 21 ता 25/2.024हैक कुल किता 16 की कुल तादादी 4.048हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन कर वादीगण संख्या 1 ,2 की 1.2525 है बहिब व वादी संख्या 3 की 1.2525हैक प्रतिवादी संख्या 4 की 0.7840हैक तथा प्रतिवादी संख्या 5 की 0.7590हैक भूमि के खातेदार काश्तकार है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official